न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः– 6/17 (RCMS No. 2017/00058) मध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21

अभिषेक शर्मा डिवीजनल कोडीनेटर, अक्श आरटीकल फाईवर लिमिटेड रूम नं0 55 कलक्ट्रेट परिसर भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी करौली जरिये जिला कलक्टर करौली
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्राधोगिक एवं संचार विभाग कलक्ट्रेट परिसर करौली
3. प्रबन्धक आर.आई.एस.एल सूचना प्राधोगिकी एवं संचार विभाग न्यू आई बिल्डिंग, योजना भवन, जयपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर (जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी) करौली के आदेश क्रमांक 217 दिनांक 27.09.2016

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील प्रार्थी
2. श्री नितेश कुमार मीना प्रोग्रामर जिला कलक्टर करौली अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य दिनांक :– 05.11.2018

यह प्रार्थना पत्र मध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत जिला कलक्टर (जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी) करौली के पत्रांक 217 दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध पेश हुआ है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं। प्रार्थी Aksh Optifibre Ltd. एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 20.06.2012 को एक इकरारनामा करौली में निस्पादित किया गया। जिसके तहत प्रार्थी को करौली में ई मित्र सेवाऐं प्रदान करनी थी। इकरारनामे के शीर्षक संख्या 7.2 के तहत पक्षकारों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर अथवा संविदा भंग होने पर प्रकरण को मध्यस्तम के मार्फत निपटाया जाना तय हुआ था। एकल मध्यस्तम संभागीय आयुक्त भरतपुर का होना निश्चित किया गया। जिला कलक्टर (ई–गवर्नेन्स सोसायटी) करौली ने पत्रांक 217 दिनांक 27.09.2016 से Aksh Optifibre Ltd.द्वारा माह

जून 2012 से माह मार्च 2014 तक की अवधि में कियोस्क धाराकों को प्रशिक्षण नही देने के कारण एमओयू के बिन्दु सं0 4.13 के क्रम में 31,750/–रूपये की शास्ति राशि वसूल किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश किया है।

विद्वान वकील प्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया है कि प्रार्थी कम्पनी तथा अप्रार्थी के मध्य एक अनुबंध दिनांक 20.0612 को निष्पादित हुआ था जिसकी प्रभावी तारीख 25.06.12 है, के अन्तर्गत प्रार्थी स्थानीय सेवा प्रदाता कम्पनी के द्वारा करौली में ई–गवर्नेस संबंध सेवाऐ प्रदान की जानी लगी। अप्रार्थी द्वारा एक पत्र इस आशय का जारी किया गया कि कम्पनी अक्ष ऑप्टीफाईबर लि. के द्वारा दिनांक 25.06.12 से 31.03.14 तक प्रत्येक तिमाही में दिये गये कियोस्कों को प्रशिक्षण में कियोस्कों की उपस्थिति कार्यालय को तीन दिवस में प्रेषित करने हेतु लिखा गया था परन्तु कोई उपस्थिति प्रस्तुत नही की गयी। जबकि वास्तव में कम्पनी के द्वारा उक्त वर्णित अवधि में कियोस्कों को प्रशिक्षण दिया गया था। जिसकी सूचना एसीपी जिला ई–मित्र सोसायटी करौली को पत्र क्रमांक Aksh/Emitra/2014-june/112 के द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त विवाद का सारभूत कारण अनुबंध के मद संख्या 4.13 है। पत्र में वर्णित समय 25.06.12 से 31.03.14 के दौरान कुल क्वार्टरों में अधिरोपित पेनल्टी के बारे में प्रार्थी कम्पनी को किसी भी प्रकार से अप्रार्थी के द्वारा सूचित नही किया गया। अतः अप्रार्थी के द्वारा मनमाने ढंग से उक्त पेनल्टी अधिरोपित की जा रही है। उक्त वसूली के आधार पर मद के साथ ही अनुबंध की मद संख्या 3.1 में स्पष्ट रूप से यह भी वर्णित है कि Degs through the Districts Administrations, shall nominate a nodal officer for each departmet with whom LSP will closely interact for the purpose of day to day functioning. Degs will keep LSP regularly informed about all kinds of tax and fee structures on the basis of which such dues are calculated wherever applicable. उक्त प्रावधान से स्पष्ट होता है अप्रार्थी द्वारा जिस क्वार्टर के लिये पेनल्टी बतायी जा रही है उसके लिये प्रार्थी को सूचित नही किया गया था। अप्रार्थी के द्वारा 31.03.14 से 11.06.14 के बीच में प्रार्थी को किसी भी प्रकार से सूचित नही किया जाना स्पष्ट दर्शता है कि उक्त वसूली की कार्यवाही मनमाने ढंग से अमल में लाने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25.06.18 को पुनः पत्र जारी किया जिसका जबाब प्रार्थी ने 13.07.15 को प्रस्तुत किया था। अप्रार्थी के कार्यालय से दिनांक 03.01.13 को अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या ई–मित्र/2013/622 जारी कर सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्राधोगिकी एवं संचार विभाग योजना भवन जयपुर को सूचित किया गया कि अक्ष ऑप्टीफाईबर पर किसी भी प्रकार की कोई जमा करायी जाने योग्य राशि की देनदारी बकाया नही है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.11.13 को सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्राधोगिकी एवं संचार विभाग योजना भवन जयपुर को प्रेषित एक और अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया कि अक्ष ऑप्टीफाईबर लि. पर किसी भी प्रकार की जमा कराये जाने योग्य राशि की देनदारी बाकी नही है। इस सोसायटी द्वारा एलएसपी का सम्पूर्ण रिकन्साईलेशन कर दिया गया है। उन्होंने अंकित किया है कि अप्रार्थी के जबाब की मद सं0 2 में गलत तथ्य अंकित किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.06.14 से पूर्व भी इस संबंध में सूचित किया गया हो जिसकी प्रार्थी द्वारा प्राप्ति रसीद श्रीमान के समक्ष पत्रावली में प्रस्तुत नही की गई है। अप्रार्थी का जबाव में यह कथन मिथ्या है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि दिनांक 25.06.15 को प्रेषित पत्र का जबाब प्रार्थी के द्वारा नही दिया गया जबकि वास्तव में इसका जबाब प्रार्थी के द्वारा दे दिया गया था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे

अप्रार्थी का कथन है कि जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी की तरफ से अध्यक्ष, जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी करौली ने एवं Aksh Optifibre Ltd.स्थानीय सेवा प्रदाता की तरफ से लोकेश खण्डेलवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा दिनांक 20.06.2012 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। प्रार्थी को अनुबन्ध की शर्त 4.13 के अनुसार स्थानीय सेवा प्रदाता Aksh Optifibre Ltd. को प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक कियोस्क धारक को एक प्रशिक्षण देना था जो कि जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी से प्रमाणित होना था। कार्यालय के पत्र क्रमांक 968 दिनांक 11.04.2014 से स्थानीय सेवा प्रदाता Aksh Optifibre Ltd.से दिनांक 25.06.12 से 31.03.14 तक की अवधि में कियोस्क धारकों को प्रशिक्षण की उपस्थिति चाही गयी थी किन्तु Aksh Optifibre Ltd.द्वारा पत्र का जबाब प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद पत्र क्रमांक 2115 दिनांक 23.02.15, क्रमांक 487 दिनांक 25.06.15 के द्वारा कियोस्क धारकों को प्रशिक्षण की उपस्थिति चाही गयी थी किन्तु Aksh Optifibre Ltd.द्वारा इन पत्रों का जबाब प्रस्तुत नही किया गया। पत्रांक 754 दिनांक 07.08.15 के द्वारा भी उपस्थिति चाही गयी थी जिसके जबाब में Aksh Optifibre Ltd.द्वारा दिनांक (1) 01.10.12 (2) 08.03.13 (3) 15.05.13 (4) 13.08.13 (5) 07.10.13 (6) 13.04.17 (7) 25.06.14 (8) 13.09.14 (9) 18.12.14 की उपस्थिति मेल पर प्रेषित की गयी। इनमें से क्रम सं0 (7) से (9) की उपस्थिति को मान्य मानते हुऐ क्र.सं. 1 से 6 की उपस्थिति जिला ई'गवर्नेन्स सोसायटी प्रमाणित नही होने के संबंध में Aksh Optifibre Ltd. से स्पष्टीकरण चाहा गया किन्तु Aksh Optifibre Ltd.द्वारा कोई संतोषजनक जबाब प्रस्तुत नही करने पर अनुबन्ध की शर्ता 4.13 के अनुसार जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी करौली द्वारा 31,750/– रूपये की शास्ति आरोपित की गयी। उनका तर्क है कि श्री अभिषेक शर्मा पर जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी करौली के द्वारा कोई शास्ति आरोपित नही की गई है और न ही श्री शर्मा को इस कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार या पत्र व्यवहार किया गया है। उक्त राशि Aksh Optifibre Ltd.पर आरोपित की गयी है, न कि अभिषेक शर्मा पर। श्री अभिषेक शर्मा का अनुबन्ध से कोई लेना–देना नही है। इसलिये अभिषेक शर्मा को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही नही है। Aksh Optifibre Ltd.द्वारा कियोस्क धारकों को प्रशिक्षण नही देने के कारण प्रशिक्षण के अभाव में कियोस्क धारकों से करौली जिले के आमजन को ई–मित्र पर उपलब्ध विभागीय सेवाओं का लाभ राज्य सरकार की मंशानुरूप प्राप्त नही हुआ। Aksh Optifibre Ltd.को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया। इसलिये प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी Aksh Optifibre Ltd. एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 20.06.2012 को एक इकरारनामा करौली में निस्पादित किया गया। जिसके तहत प्रार्थी को करौली में ई मित्र सेवाऐं प्रदान करनी थी। जिला कलक्टर (ई–गवर्नेन्स सोसायटी) करौली ने Aksh Optifibre Ltd.ने माह जून 2012 से माह मार्च 2014 तक की अवधि में कियोस्क धाराकों को प्रशिक्षण नही दिया इसलिये एमओयू के बिन्दु सं0 4.13 के क्रम में 31,750/–रूपये की शास्ति राशि वसूल किये जाने का आदेश पारित किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी की तरफ से अध्यक्ष, जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ई–गवर्नेस सोसायटी करौली ने एवं Aksh Optifibre Ltd.स्थानीय सेवा प्रदाता की तरफ से लोकेश खण्डेलवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा दिनांक 20.06.2012 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। श्री अभिषेक शर्मा पर जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी करौली के द्वारा कोई शास्ति आरोपित नही की गई है और न ही श्री शर्मा को इस कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार या पत्र व्यवहार किया गया है। उक्त राशि Aksh Optifibre Ltd.पर आरोपित की गयी है। इसलिये अभिषेक शर्मा को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही नही है। अनुबन्ध में प्रार्थी अभिषेक शर्मा का कहीं जिक्र नही है और न ही अभिषेक शर्मा का ऐसा कोई पत्र है जिससे यह साबित होता हो कि कम्पनी ने प्रार्थी अभिषेक शर्मा को प्रार्थना पत्र देने व उज्र करने के लिये नियुक्त किया गया हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया जाना अनुबंध नियमों के विपरीत है।

जहॉ तक मैरिट का प्रश्न है। कम्पनी व अप्रार्थी द्वारा एक अनुबंध किया गया था। प्रार्थी को अनुबन्ध की शर्त 4.13 के अनुसार स्थानीय सेवा प्रदाता Aksh Optifibre Ltd. को प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक कियोस्क धारक को एक प्रशिक्षण देना था जो कि जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी से प्रमाणित होना था। किन्तु अप्रार्थी ने पत्र कमांक 968 दिनांक 11.04.2014, 2115 दिनांक 23.02.15, 487 दिनांक 25.06.15 से स्थानीय सेवा प्रदाता Aksh Optifibre Ltd.से दिनांक 25.06.12 से 31.03.14 तक की अवधि में कियोस्क धारकों को प्रशिक्षण की उपस्थिति चाही गयी थी किन्तु Aksh Optifibre Ltd.द्वारा पत्र का जबाब प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद पत्रांक 754 दिनांक 07.08.15 के द्वारा भी उपस्थिति चाही गयी थी जिसके जबाब में Aksh Optifibre Ltd.द्वारा दिनांक (1) 01.10.12 (2) 08.03.13 (3) 15.05.13 (4) 13.08.13 (5) 07.10.13 (6) 13.04.17 (7) 25.06.14 (8) 13.09.14 (9) 18.12.14 की उपस्थिति मेल पर प्रेषित की गयी। इनमें से क्र.सं. 1 से 6 की उपस्थिति जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी प्रमाणित नही होने के संबंध में Aksh Optifibre Ltd. से स्पष्टीकरण चाहा गया किन्तु Aksh Optifibre Ltd. द्वारा कोई संतोषजनक जबाब प्रस्तुत नही किया। इसलिये अनुबन्ध की शर्त 4.13 के अनुसार जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी करौली द्वारा 31,750/– रूपये की शास्ति आरोपित की गयी, जो उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकसस्टैण्डाई नही होने तथा कम्पनी द्वारा अनुबंधों की शर्तों की पालना नही करने के कारण अप्रार्थी ने जो शास्ति 31,750/– रूपये कम्पनी पर आरोपित की गयी है, वह अनुबंधों की शर्तो के अनुरूप है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.11.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official